

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्रांक- 2.त0शि0/गैर योजना-03/2017 (पार्ट-1)

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, आदित्यपुर/राँची/दुमका/खुटरी/कोडरमा
/भागा/धनबाद/निरसा/लातेहार/सिमडेगा/जगन्नाथपुर/साहेबगंज
राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची/जमशेदपुर/बोकारो/दुमका
झारखंड।

विषय :-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा लघु शीर्ष-105-बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय-उप शीर्ष-01- डिप्लोमा पाठ्यक्रम अन्तर्निर्दिष्ट (सैंडवीच) पाठ्यक्रम सहित के अधीन उपबंधित राशि में से कुल ₹0 16,70,76,000/- (₹0 सोलह करोड़ सत्तर लाख छिहत्तर हजार) मात्र आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वर्ष 2025-26 में विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन विभागाधीनस्थ राजकीय पोलिटेकनिकों/राजकीय महिला पोलिटेकनिकों को विभिन्न इकाईयों में संस्थान के सामने अंकित राशि के अनुसार कुल ₹0 16,70,76,000/- (₹0 सोलह करोड़ सत्तर लाख छिहत्तर हजार) मात्र आवंटन की स्वीकृति "परिशिष्ट-क" के अनुसार प्रदान की जाती है।

02. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक- 338/बजट दिनांक- 28.03.2025 एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों के आलोक में प्रदान की जा रही है, अतएव राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त परिपत्रों में दिए गए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने की आपकी जबाब देही होगी।
03. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राजकीय पोलिटेकनिक, आदित्यपुर/राँची/दुमका/खुटरी/कोडरमा/भागा/धनबाद/निरसा/लातेहार/सिमडेगा/जगन्नाथपुर/साहेबगंज/राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची/जमशेदपुर/बोकारो/दुमका के प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य या विभाग द्वारा घोषित पदाधिकारी होंगे।
04. राशि के व्यय में जहाँ तक हो सके मितव्ययिता बरती जाय।
05. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जाएगी, राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
06. विपत्र पर बजट शीर्ष एवं विपत्र कोड सही एवं सुस्पष्ट रूप से अंकित करेंगे, ताकि महालेखाकार कार्यालय को वाउचर पोस्टिंग करने में असुविधा नहीं हो।
07. आवंटित राशि का दूसरे मदों में दुर्विनियोग या विचलन कदापि नहीं किया जाय।



08. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी की राशि का भुगतान बैंक एकाउंट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।
09. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जायेगा।
10. राशि की निकासी जिला कोषागार, राँची/बोकारो/जमशेदपुर/दुमका/कोडरमा/सरायकेला/धनबाद/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/उप कोषागार, तेनुघाट से की जायेगी।
11. व्यय की गई राशि का अंकेक्षण महालेखाकार, राँची एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग के क्षेत्रान्तर्गत रहेगा।
12. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
13. व्यय विवरणी टी0भी0न0 सहित संकलित कर महालेखाकार कार्यालय में संधारित आँकड़ा से त्रैमासिकी लेखाओं का सत्यापन/मिलान सुनिश्चित करेंगे तथा इस पर व्यक्तिगत ध्यान देंगे।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुनील कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 2.त0शि0/गैर योजना-03/2017

/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार राँची/बोकारो/जमशेदपुर/दुमका/कोडरमा/सरायकेला/धनबाद/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/उप कोषागार, तेनुघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 2.त0शि0/गैर योजना-03/2017 - 823

/राँची, दिनांक- 10.09.2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/उप निदेशक/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा को एक अतिरिक्त प्रति के साथ गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव